NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No: 151/NCRES/20

Date: 4.8.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– हेडक्वाटर स्तर पर दिनांक 25/26.2.2020 के PNM बैठक में लिये गये निर्णयो के क्रियान्वयन के लिये आदेश जारी किया जाना।

सन्दर्भः– NCRES का पत्र दिनांक 19.5.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि हेडक्वाटर स्तर पर NCRES के साथ सम्पन्न दिनांक 25/26 फरवरी 2020 के PNM बैठक में विद्युत विभाग से सम्बन्धित जिन मदो पर निर्णय हुये थे, उसके मिनट्स कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 4.3.2020 को जारी कर दिये गये थे।

विद्युत विभाग से सम्बन्धित मदो पर हुये निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये मंडलो को निर्देश जारी न किये जाने पर NCRES ने अपने पत्र दिनांक 19.5.2020 (संलग्न) द्वारा अनुरोध किया कि PNM बैठक में हुये निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये आदेश जारी कर उसकी प्रति NCRES को दी जाय लेकिन खेद के साथ अवगत कराना है कि मंडलो को जारी निर्देश की प्रति अभी तक NCRES को प्राप्त नही हुआ है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 25/26 फरवरी 2020 की बैठक में विद्युत विभाग के जिन मदो पर निर्णय हुये है, उन सभी निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये मंडलो को आदेश जारी करने और उसकी प्रति NCRES को देने के लिये उचित निर्देश देने का कष्ट करे।

संलग्नः– यथावत

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 98 /NCRES/20 Date :19.5.2020

श्रीमान प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– हेडक्वाटर स्तर पर दिनांक 25/26.2.2020 के PNM बैठक में लिये गये निर्णयो के कियान्वयन के लिये आदेश जारी किया जाना।

महोदय,

NCRES के साथ सम्पन्न दिनांक 25/26 फरवरी 2020 के PNM बैठक में विद्युत विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित मदो पर चर्चा के उपरान्त लिये गये निर्णय का मिनट्स भी कार्मिक विभाग ने दिनांक 4.3.2020 को जारी कर दिया है लेकिन बैठक में हुये निर्णयो के कियान्वयन के लिये प्रधान कार्यालय विद्युत विभाग द्वारा अभी तक मण्डलो को निर्देश जारी नही किया गया है।

अतः अनुरोध है कि निम्नलिखित मदो पर हुये निर्णयों के कियान्वयन के लिये मण्डलो को निर्देशित किया जाय और उसकी प्रति NCRES को दी जाय।

	(1)	(2)	(3)	(4)
क्र. स.	पी.एन.एम. मद	अधिकारी /विभाग	मद	प्रशासनिक टिप्पणी
1.	20/9/2014	PCEE	मान्यता प्राप्त यूनियन के कार्यालयों पर लागू कार्यालय किराया, बिजली एवं पानी शुल्क के सम्बन्ध में।	जिन ईकाइयों में बिजली प्रभार देय है, वहाँ पर मीटर लगाकर बिजली प्रभार की वसूली प्रापर बिलिंग के आधार पर की जायेगी। इस विषय में एन.सी.आर.ई.एस. ने मांग की कि समस्त यूनियन, एसो. के कार्यालय, स्टाफ इंस्टीट्यूट, अधिकारी क्लब, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल इत्यादि अगर एक्जम्पटेड नही है, उन ईकाइयों में मीटर लगाकर प्रापर बिलिंग के द्वारा बिजली बिल की वसूली की जायेगी। (23/24 जनवरी 2019 के मीटिंग का मिनट्स)
	NCRES की टिप्पणी – इस मद में जनवरी–2019 के बाद की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत कराया जाय।			

	(1)	(2)	(3)	(4)
2.	12/2016	PCEE	इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैकमेन्टेनरो को गेट लाज, गैंग हटो में बिजली पानी न दिया जाना एवं कार्य हेतु वाकी–टाकी न दिया जाना।	एन.सी.आर. में 90 में से 26 गैंगहट का विद्युतीकरण कर दिया गया है। बचे हुये गैंगहट का विद्युतीकरण सोलर पैनल के प्रावधान द्वारा तीन से चार माह में कराने का प्रयास किया जायेगा।
	NCRES की टिप्पणी – बचे हुये 64 गैंग हटो को सोलर पैनल से 3–4 माह में विद्युतीकरण करने के लिये मण्डलो को जारी आदेश की प्रति NCRES को दी जाय।			
3.	23/2016	PCEE	रेलवे क्वार्टरों में एक ए.सी. का प्वाइंट न दिया जाना।	पुराने टाईप–3 आवासो में ट्रान्सफार्मर और वायरिंग की स्थिति को देखते हुये आवासो में ए.सी. प्वाइंट तुरन्त दिया जा सकता है।
	NCRES की टिप्पणी – तीनो मण्डलो के टाइप 3/4 आवासो में ए.सी. प्वाइंट लगाये जाने के लिये जारी किये गये आदेश की प्रति NCRES को दिया जाय।			
4.	10/11/2018 मिनट्स का क. सं. 21	PCEE	NCR के टी.टी.ई. रेस्ट रूमों को एयर कंडीशन (AC) करने के सम्बन्ध में।	उपरोक्त विषय पर अनुस्मारक पत्र जारी किया जायेगा। इसकी प्रति NCRES को दी जायेगी।
	NCRES की टिप्पणी – टी.टी.ई. रेस्ट रूमो को वातानुकूलित (AC) करने के लिये मण्डलो को जारी आदेश की प्रति NCRES को दी जाय।			
5.	4/12/2019	PCEE	NCR में विभिन्न विभागो में SSE इंचार्ज के पद पर जूनियर कर्मचारी की पोस्टिंग पालिसी हेतु।	डिपो इंचार्ज बनाने के समय सामान्यतः वरीयता का ध्यान रखा जाता हैं। रेलवे बोर्ड की रोटेस्नल ट्रान्सफर की पालिसी के अनुसार तथा सीनियर कर्मचारी के रिफ्यूजल एवं उपयुक्तता के आधार पर कभी–कभी Adjustment करना पड़ता है।
	NCRES की टिप्पणी – प्रशासनिक टिप्पणी अधूरी है। PCEE ने आइटम पर चर्चा में कहा था कि इस प्रकार की घटना को रोकने के लिये निर्देश जारी किया जायेगा। मण्डलो को जारी निर्देश की प्रति NCRES को दी जाय।			
6.	19/12/2019	PCEE	S&T, Electrical (TRD) एवं मैकेनिकल विभाग के JE/SSE को Protective Gears देने हेतु।	प्रारम्भिक भाषण के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
	NCRES की टिप्पणी – प्रारम्भिक भाषण के समय महाप्रबंधक द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत कराया जाय।			

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज